"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2005—श्रावण 28, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (सीजी : 1978), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भी नियुक्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री रमेश सिन्हा, भा.प्र.से. (सीजी : 1962), सचिव, राजस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री रमेश सिन्हा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राऊत, सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 2-28/2004/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कार्यरत श्री अशोक कुमार आर्य, अनुभाग अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को उनके कनिष्ठ श्री एस. के. विश्वकर्मा के पदोन्नति के फलस्वरूप अवर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रु. 10000-325-15200/- में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अवर सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री आर्य का उनके कनिष्ठ श्री एस. के. विश्वकर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जावेगा. पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक की अवधि का ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' के सिद्धांत के आधार पर कोई वेतन एरियर्स देय नहीं होगा.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

2. श्री विलियम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 2-15/2005/1-8.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भरती नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

''अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन और अनुसूची-चार में शब्द ''शीघ्र लेखक'' जहां कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द ''निज

सहायक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक एफ. 2-15/2005/1-8.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th August 2005

No. F 2-15/2005/1-8.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Secretariate Service Recruitment Rules, 1976, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

"In schedule-I, schedule-II, schedule-III and schedule-IV for the words "Stenographer" wherever occur shall be substituted by the words "Personal Assistant".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. MINJ, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 25-6-2005 से 29-6-2005 तक (5 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक 1844/1360/2005/1/2.—श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-7-2005 से 21-7-2005 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 12-8-2005 को एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक-एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-10-2004 को निरस्त करते हुए एस.ओ.पी. 21 के पुराना पैरा 3 (1) को निरस्त कर नया पैरा 3 (1) प्रतिस्थापित किया जाता है—

पैरा 3 (1) ''सुबेदार (स्टेनो) के लिए मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 परीक्षा अथवा समकक्षीय योग्यता तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 100 शब्द प्रतिमिनिट से डिक्टेशन लेने तथा न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनिट टाईप करने का मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ आशुलिपि एवं मुद्रलेखन परीक्षा

परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट होना चाहिए. स्टेनोग्राफर पद के उम्मीदवार के लिये 500 शब्दों के अवतरण का 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से पांच मिनिट में आलेखित किया जावेगा तथा आलेख को 50 मिनिट की निर्धारित समय सीमा में मुद्रलिखित किया जाना अनिवार्य होगा. साथ ही शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् छत्तीसगढ़ द्वारा आलेखन एवं मुद्रलेखन हेतु निर्धारित प्रावधान लागू होंगे".

अर्हता संबंधी अन्य नियम/शर्तें यथावत् रहेंगी.

Raipur, the 6th August 2005

AMENDED NOTIFICATION

No. F 2-8/2(Home)/S.P.F./04.—State Government hereby repeals the Notification of even number dated 4-10-2004 and Para 3 (1) of old S.O. P. and substitutes the new para 3 (1) as—

Para 3 (1) For the post of subedar(m) educational qualification is Higher secondary or 10+2 from a recognised institute of M.P./C.G. and speed of 100 words per minute in Hindi stenography and a certificate of typing for minimum 25 words per minute from a recognised institute of M.P./C.G. is essential. For the post of stenographer, paragraph of 500 words should be completed with a speed of 100 words per minutes in five minute and the para should be typed within 50 minutes time. In addition to the above the rules as prescribed by the shorthand, typing examination council Chhattisgarh will be applicable.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद तिवारी, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 21-5/2001/नौ/55.—छत्तीसगढ़ होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19, सन् 1976) की धारा 7 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. अमीन नकवी, रीडर, छदामी लाल चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर के पद त्याग के फलस्वरूप उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद् में धारित सदस्य के पद को रिक्त घोषित करती है तथा उक्त पद पर उनकी सदस्यता की शेष कालावधि के लिए, डॉ. जयप्रकाश शर्मा, डी.एच.एम.एस., रायपुर को सदस्य नामनिर्देशित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक/एफ 9-57/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बैकुंठपुर, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई है :—

अनुसूची

बैकुंठपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तलवापारा, रामपुर एवं जनकपुर, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम जनकपुर, भांडी एवं कंचनपुर, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कंचनपुर, जामपारा, केनापारा, जुनापारा एवं चैर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चैर, सागरपुर, हरीपारा एवं तलवापारा, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 9-27/32/05.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक एफ 9-27/32/05 दिनांक 15-6-2005 द्वारा दुर्ग विकास योजना के अंतर्गत ग्राम जुनवानी में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना दुर्ग के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जुनवानी	129 पार्ट	0.548 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय
2.		130 पार्ट	0.14 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	जुनवानी	131 पार्ट	0.561 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय
4.		132, 133, 134 एवं 135 पार्ट	0.94 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय
5.		136 पार्ट	0.405 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय
6.		140 पार्ट	0.66 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय
7.		141 पार्ट	0.202 हे.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय
		कुल रकबा	3.456 हे.		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग, विकास योजना के ग्राम जुनवानी के खसरा क्रमांक 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, कुल रकबा 3,456 हे. की सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार दुर्ग, विकास योजना में निर्धारित उपयोग सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक से आवासीय में उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण दुर्ग, विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2005

क्रमांक एफ-8-1/2005/11/6.—**इंडियन बायलर्स एक्ट,** 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लिमिटेड, रायपुर के बायलर क्रमांक सी. जी./36 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 7-8-2005 से दिनांक 6-10-2005 तक दो माह की छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 1-51/2004/42.—**राज्य शासन,** चिकित्सा आयुर्वेद, इंजीनियरिंग तथा कृषि महाविद्यालयों में तथा पॉलीटेकनिक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षाओं या अन्य परीक्षा जिसे इस मण्डल के क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया जावे के आयोजन एवं तत्संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिए एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" का गठन करता है.

2. उपर्युक्त मण्डल में अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे. इसके साथ ही आवश्यक संख्या में सदस्यों/पदेन सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश भी पृथक से जारी किए जायेंगे.

3. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल राज्य शासन के सचिवालयीन विभाग शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति प्रशासकीय विभाग के अधीन कार्य करेगा. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह मण्डल को अपने कार्य संचालन के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सके. राज्य शासन को यह अधिकार भी होगा कि वह मण्डल के कार्य संचालन के लिए नियम बना सके.

4. मण्डल स्वत: एक इकाई होगा और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा, मण्डल अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और इसी नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किये जावेंगे.

5. मण्डल द्वारा किये गये अथवा करने से छोड़ दिये गये किसी कार्य के लिए राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

6. मण्डल अपने नाम का खाता खोलेगा. वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन से बंटवारे में प्राप्त सम्पदा एवं दायित्व मण्डल को हस्तान्तरित हो जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 1-51/2004/42.—चिकित्सा, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग तथा कृषि महाविद्यालयों में तथा पॉलिटेकनिक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षाओं या अन्य परीक्षा, जिसके लिये राज्य शासन द्वारा अधिकृत किया जाये, के आयोजन एवं तत्संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिये समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-7-2005 द्वारा "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" का गठन किया जा चुका है.

2. उपर्युक्त मण्डल में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे :—

(1)	अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल	अध्यक्ष
(2)	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
(3)	सचिव, वित्त एवं योजना विभाग	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	सदस्य
(5)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
(6)	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
(7)	संचालक, कृषि	सदस्य
(8)	डीन, मेडिकल कालेज, रायपुर	सदस्य
(9)	डीन, कृषि महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(10)	प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(11)	प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	सदस्य
(12)	प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग	सदस्य
(13)	डीन, आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य

3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के गठन आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित होने वाली पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. आदि परीक्षायें समाप्त हो जायेंगी. "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" चिकित्सा, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, कृषि महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा (जिसे इस मण्डल के क्षेत्राधिकार के लिये अधिकृत किया जायेगा) को सम्पन्न कराने की संपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक 93/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	किरकी प.ह.नं. 08	7.68	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	किरकी जलाशय के डुबान एवं नहर निर्माण में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 19 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रानीसागर प. ह. नं. 51/39	18.68	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 20 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अमोदी प. ह. नं. 34/48	4.45	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 30-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुसमुद प. ह. नं. 36/50	2.76	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 31-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	समोदा प. ह. नं. 50	1.04	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 32-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सेमरिया प. ह. नं. 52	2.02	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 33-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प. ह. नं. 52	0.96	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वित-रिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 34-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	करमंदी प. ह. नं. 50	1.04	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वित-रिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 33-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प. ह. नं. 52	0.96	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 34-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	करमंदी प. ह. नं. 50	1.04	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 35-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कागदेही प. ह. नं. 36/50	2.16	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 के माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 36-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	आरंग प. ह. नं. 60/42	2.229	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2-अ/82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 75/47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1263	0.06
1264	0.24
1265	0.06
1268	0.07
योग	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजिम परसवानी मार्ग के पैरी नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/878/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-कुटहा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
132	0.59
136	0.10
167	0.02
168	0.01
169	0.01
187	0.10
452	0.01
408	0.10
458	0.02
453	0.02
472/2	0.16
134	0.14
163	0.24
170	0.07
173	0.01
174	0.02
406/2	0.12
185	0.01
459	0.06

(1)	(2)
425	0.04
454	0.02
473	0.25
135	0.02
165/2	0.02
179	0.04
472/1	0.16
180	0.05
449	0.09
189	0.03
424	0.05
426	0.05
457	0.02
योग	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटहा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/881/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाडीह, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
305	0.08
289/1	0.65
278	2.43
317	0.13
योग	3.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/884/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-डुन्डेरा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1043	0.42
योग	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उतई, उमरकोटी, डुन्डेरा सड़क निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/887/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-घोठा, प. ह. नं. 23/16/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/5	0.17
8	0.18
50/10	0.08
50/14	0.88
32	0.18
48/1	0.23
47/13	0.09
44	0.09
428/3	0.23
237/1	0.83
403/3	0.11
426	0.18
50/15	0.02
11	0.14
16	0.14
42/3	0.14
50/9	0.10
49/1	0.09
48/3	0.12
47/15	0.01
42/19	0.20
561/2	0.09
237/8	0.12
403/2	0.11
432	0.39
15	0.28
50/11	0.14
42/15	0.09
50/7	0.28
48/2	0.14
47/8	0.09
47/12	0.09
42/17	0.14
237/14	0.02
403/1	0.09
426	0.13
560	0.17
योग	6.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/890/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1031/1	0.33
योग	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/893/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-जोगीगुफा, प. ह. नं. 25/17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/2, 40/2	0.10
37	0.24
39/4	0.08
13, 14	0.91
36	0.50
26/3	0.86
38	0.52
39/1	0.05
39/3	0.35
17/2	2.10
19	0.15
26/1	1.00
योग	6.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोगीगुफा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/896/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरनाभाठा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.27
14	0.14
12	0.05
17	0.12
योग	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनानाला व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/899/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बसनी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
533	0.13
529	0.01
521/2	0.02
512/3	0.06
511	0.01
509	0.12
502	0.13
503	0.10
531	0.15
530	0.12
523/1	0.12
512/2	0.07
510	0.13
619	0.01
504	0.08
512/4	0.08
योग	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोकड़ी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/902/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-घोटवानी, प. ह. नं. 22/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173/2	0.30
99	0.25
144/1	0.20
145	0.17
84/2	0.45
87	0.22
89/2	0.10
90/3 व 90/4	0.37
142	0.15
143	0.17
144/2	0.15
84/1	0.15
85/2	0.37
89/1	0.12
114/1	0.03
103/1	0.35
144/3	0.20
योग	3.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/905/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-करेली, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1052	0.17
1107/2	0.04
1066	0.07
1105/2	0.09
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोकड़ी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/908/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 22/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
317/7	0.12
318/3	0.03
467/4	0.05
468/2	0.15
469/2	0.03
472	0.02
362/3	0.08
363/1	0.95
475/1	0.20
469/1	0.07
475/2	0.04
498/2	0.34
318/1	0.03
467/3	0.02
498/1	0.12
473	0:25
467/2	0.25
474	0.02
योग	2.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/911/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-थनौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2253	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/914/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-भाठा कोकड़ी, प. ह. नं. 23/16/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204/7	0.10
205	0.12
208/2	0.04
196/1	0.04
198/1	0.07
204/11	0.05
206	0.08
134	0.23
196/2	0.08
204/12	0.04
207	0.03
137	0.22
197/1	0.05
योग	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/917/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-नंदवाय, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1105	0.08

(1)	(2)
1132	1.42
1134	1.16
योग	2.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगना नाला व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/920/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-भरदा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
316	0.38
योग	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरदा कोनारी मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक/926/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरझापुर, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.08
178/6	0.05
181	0.05
183	0.01
185	0.22
218	0.06
178/4	0.08
179	0.04
182	0.07
184	0.12
216	0.09
योग	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटहा जलाशय के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2005

क्रमांक/931/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बेलौदी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
923	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2005

क्रमांक/934/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1367/2	0.30
योग	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2005

क्रमांक/937/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-घोटवानी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.12
194/3	0.14
1033/2	0.08
137/2	0.06
1117	0.06
1388	0.14
118	0.03
1073	0.15
1443	0.05

(1)	(2)
115/1	0.07
1093	0.01
1380	0.35
137/1	0.01
1056	0.01
1037/4	0.03
142	0.02
194/1	0.12
194/2	0.12
1034	0.02
90/2	0.15
176	0.04
1381	0.19
119	0.03
1116/2	0.05
1444	0.04
1406	0.10
1092/2	0.07
1492	0.12
134	0.06
1076	0.05
1040	0.13
141	0.04
1049	0.07
1445	0.01
1035	0.01
90/1	0.06
170	0.03
1032	0.02
1408	0.05
1037/1	0.02
1407	0.11
117	0.15
1111	0.03
1493	0.02
114	0.02
1075	0.08
1042	0.01
140	0.10
1055	0.01
153	0.04
73	0.12
169	0.02
1411	0.12
120	0.07
1118/1	0.02
1395/1	0.05
159	0.07
1387	0.11
1496	0.04
133	0.01
1084	0.04
1394/3	0.02
131	0.05
1054	0.03
1036	0.03
155	0.02
योग	4.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन हेतु भूमि-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-फरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1100	0.10
1099	0.07
1091	0.10
1133	0.02
1158	0.09
1155	0.02
1092/1	0.02
योग	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-फरी जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 02/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बेमेतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.852 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
191, 192	0.252
193, 194	1.279
195/2	0.093
196	0.182
195/3	0.045
195/1	0.045
198/1	0.081
222/1	0.405
198/2	0.081
199	0.243
200	0.599
201	0.360
202	0.182
222/3	2.117
203/1	1.327
203/2, 203/3, 203/5	0.157
203/4	0.158
205/1	0.081
205/2	0.040
206	0.045
208	0.142
209	0.360
212	0.206
213/2	0.198
217	0.474
220	0.198
221	0.502
योग	9.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुढ़पार जलाशय डुबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-चारभाठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
861	0.72
865	0.37
970	0.29
900/2	0.40
913	0.19
905	0.14
909	0.09
911/2	0.26
1004	0.27
947	0.04
940	0.24
956	0.32
962/1	0.34
966	0.31
969	0.70
974	0.36
977	0.19
993	0.44
985	0.34
990	0.09
995	0.40
998	0.62
997	0.25
1008	0.51
1012	0.19
976	0.33
864	0.40
867	0.61
972	0.26
900/3	0.20
979	0.17
906	0.19
948	0.83
914	0.13
926	0.20
965	0.81
955	0.24
960	0.18
962/2	0.28
989/1	0.33
967	0.77
973	0.47
978	0.38
981	0.86
982	0.19
984	0.38
991	0.12
1000	0.26
999	0.25
1009	5.51
1013	0.13
866	0.42
868	0.32
900/1	0.42
901	0.17
904	0.13
907	0.22
911/1	0.28
916	0.16
946	0.32
1005	2.28
958	0.60
961/2	0.40
964	0.67
989/2	0.57
968	0.45
971	0.44
980	2.35
986	0.35
983	0.09
994	0.11
996	1.91
1003	0.19
1002	0.61
1011/1	0.30

(1)	(2)
1011/2	0.87
योग	37.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुढ़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिलई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
760/1	0.32
760/2	0.16
767	0.55
768	0.08
769	0.11
770	0.14
771	0.08
772	0.10
773	0.20
774	0.10
775/1	0.46
813/1	0.29
813/3	0.07
804/2	0.22
805	0.12
819	0.26
806	0.09
822	0.13
860/1	0.48
807/2	0.10
807/3	0.16
807/4	0.12
818	0.32
807/5	0.15
809	0.14
810	0.13
811	0.17
812	0.15
813/2	0.29
814	0.48
815	0.10
816	0.57
817	0.25
820	0.27
821	0.18
823	0.28
योग	7.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुढ़पार जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-लावातरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
690	0.21
691/1	0.20
691/2	0.12
691/3	0.12
691/4	0.12
691/5	0.12
691/6	0.25
688	0.14
692	0.90
696	1.11
723	0.19
706	0.50
725	0.28
697	1.17
699	0.15
726/1	0.14
727	0.26
700	0.20
714	0.40
707	0.66
708	0.05
721	0.16
709	0.26
726/2	0.13
728	0.17
729	0.23
695	0.31
715	0.01
698	0.15
722/1	0.19
722/2	0.19
722/3	0.19
722/4	0.18
722/5	0.18
722/6	0.18
718	0.38
710/1	0.20
710/2	0.20
689	0.20
योग	10.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-धनगांव जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक 5453/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-गर्रा, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.99 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
66/1	0.38
55	0.36
146	0.25
65	0.39
64	0.45
61/5	1.74
73/1	0.36
60/2	0.03
60/5	0.10
44	0.04
139	0.65
45	0.40
43	0.29
70/2	0.50
163/4	0.35
70/3	0.50
163/3	0.35
70/4	0.50
163/1	0.35
70/5	0.49
163/2	0.35
71/2	0.57
143	0.43
144/1	0.46
144/2	0.45
145/2	0.23
151	0.49
147/3	0.38
46	0.15
योग 29	11.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोहकाझोरी जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अगस्त 2005

क्रमांक 5552/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मालाडबरी, प.ह.नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
829/1	1.13
842	0.10
841	0.04
830	0.09
831	0.15
832	0.23
361	0.04
803	0.14
805	0.13
362	0.07
351	0.03
353	0.03
348	0.08
352	0.10
350	0.01
363	0.06
339	0.07
365	0.10
346	0.07
345	0.01
347	0.02

(1)	(2)
340	0.01
योग	2.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बहेराभांठा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक 5916/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा, प.ह.नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
263/3	0.202
281/11	0.081
281/12	0.155
313	0.010
281/14	0.065
281/16	0.012
281/15	0.042
282/2	0.012
282/3	0.068
296	0.053
298	0.030
300	0.016
314	0.036
301, 310	0.010
311, 302/2	0.051
302/1	0.040
302/3	0.060
303/1	0.110
304/1, 304/2	0.071
305	0.137
307	0.240
312	0.020
417/1	0.013
417/5	0.006
420	0.154
422	0.140
423	0.200
432	0.100
433	0.152
434/2	0.168
436	0.051
445/7, 8	0.246
470	0.152
474	0.077
482	0.147
478	0.068
479	0.056
481	0.070
484	0.120
485	0.149
486	0.033
487/1	0.045
488/1	0.040
657/1, 651/2	0.172
657/2, 660	0.352
944	0.130
712	0.241
727	0.105
729/2	0.121
729/5	0.049
730/2	0.057
730/3	0.050
731/1	0.040
731/2	0.042

(1)	(2)
731/3	0.025
732/1	0.056
734/1, 734/2, 734/3	0.140
734/4, 734/5	0.150
737/1	0.086
740	0.270
741	0.088
744	0.006
835/1	0.060
835/2	0.068
843/8	0.064
849	0.040
851	0.160
853	0.029
952	0.058
854	0.036
856	0.085
858	0.044
857, 860	0.140
859	0.072
862/1	0.088
890	0.004
891	0.070
892/1	0.120
892/2	0.041
893	0.100
946	0.110
938/2	0.008
941/1	0.080
945	0.260
948	0.065
951	0.044
953	0.040
954	0.085
957/1	0.100
957/3	0.090
योग 99	8.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के चारभांठा एवं मोतीपुर माइनर नहर निर्माण हेतु (चारभाठा).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक 5969/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-झिटिया, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.54 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
115	1.54
योग	1.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एड़मागोंदी जलाशय के उलट नाली हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोहला कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक 6142/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटपर, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.44 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
973/3	0.30
466	0.70
452/3	0.48
296/1	0.19
453	0.04
452/2	0.38
451/4	0.23
451/3	0.14
451/5	0.02
451/2	0.24
451/1	0.20
384	0.48
383/1	0.06
380	0.27
344	0.20
379	0.14
378/2	0.04
340	0.03
378/1	0.27
377	0.22
350	0.80
342	0.27
341	0.31
343/2	0.12
333/1	0.10
333/2	0.16
345/1	0.18
343/1	0.46
307	0.40
309	0.08
308	0.49
276/6	0.30
276/7	0.34
276/8	0.15
267	0.34
464	0.18
974	0.03
470	0.10
योग 38	9.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरवाटोला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2005

प्र. क्र. 2-अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-हथलेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
19/6	0.71
19/8	0.19
21/1	0.04
21/3	0.05
23/3	0.19
24/1	0.07
24/2	0.07
354/1	0.14
353	0.04
34	0.33
32/2	0.36
32/3	0.01
32/4	0.04
213/2	0.13
212/3	0.23
19/2	0.12
36	0.27
330	0.01
23/2	0.25
योग	3.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगीबहरा व्यपवर्तन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा, के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2005

प्र. क्र. 3-अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
285/2	0.26
योग	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगीबहरा व्यपवर्तन.

(3) भूमि के नक्शें (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2005

प्र. क्र. 4-अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
283/2	0.40
योग	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगीबहरा व्यपवर्तन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2005

प्र. क्र. 5-अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-कोटरा बुंदेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
244/1	0.02
242/1	0.48
242/3	0.22
231/16	0.21
231/13	0.25
242/13	0.16
242/8	0.18
241/1	0.02
241/2	0.02
241/6	0.26
241/3	0.02
241/4	0.02
241/5	0.01
240/1	0.10
240/5	0.30
240/2	0.13
238	0.07
योग	2.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झाडुटोला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2005

प्र. क्र. 6-अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-झाडुटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
154	0.08

(1)	(2)
153/2	0.50
166/1	0.07
156	0.01
153/3	0.40
166/2	0.02
176/5	0.06
166/3	0.41
165/2	0.07
169/2	0.39
169/1	0.35
178/8	0.04
170/2	0.07
195/2	0.20
171	0.07
176/7	0.24
176/2	0.19
176/4	0.33
195/3	0.24
176/9	0.35
185/2	0.48
195/1	0.11
194	0.29
197	0.18
198/2	0.30
198/6	0.18
योग	5.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झाडुटोला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2005

प्र. क्र. 11-अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बानो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
137/2	0.10
136/6	0.29
136/5	0.10
136/4	0.22
134	0.54
133/2	0.09
133/1	0.30
130/4	0.16
130/3	0.17
127/13	0.06
127/12	0.06
127/8	0.10
127/7	0.11
126/14	0.13
126/15	0.13
126/12	0.12
121	0.23
12/1	0.34
42/5	0.26
42/2	0.26
42/1	0.26
139/2	2.10
140/1	1.07
141	5.40
142/1	1.31
142/2	0.62
145/1	1.13
145/2	1.08
174	2.35
188	2.67
189	1.40
145/3	1.08

(1)	(2)
146/10	0.29
146/11	0.64
146/12	0.60
146/13	0.13
147	1.54
148	1.68
153/1	0.91
योग	30.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बानो जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2005

क्रमांक 24/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरगहनी, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
839	0.097
798/2	0.032
832	0.024
योग	0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2005

क्रमांक 25/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-चपोरा, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
431	0.121
428/1	0.130
428/7	0.020
439/2	0.049
439/1	0.081
626/3	0.040

(1)	(2)
411/2 ध	0.024
411/3	0.081
411/4	0.162
56/1, 57/1	0.142
योग	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2005

क्रमांक 26/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
439/2	0.162
16	0.024
18	0.012
488/5	0.130
438/1	0.053
488/1	0.053
488/1 ख	0.012
7	0.040
योग	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2005

क्रमांक 27/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
69/2	0.061
385	0.049
477/1 घ	0.304
474/1	0.040
181	0.081
182	0.069
357	0.429
391	0.040
172	0.061
477/1 क	0.073

(1)	(2)
384/3	0.162
729	0.081
332 ड	0.020
359	0.093
219, 209	0.202
226	0.344
728	0.482
331/2	0.292
69/3	0.081
737	0.166
योग	3.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिंहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
105/1	0.243
105/2	0.125
105/3	0.121
योग 3	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंहा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नन्देली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
756	0.271
766/4	0.040
766/5	0.040
798	0.243
837/1	0.125
837/2	0.130
838	0.040

(1)	(2)
840/1	0.093
840/2	0.097
843/3	0.093
750/1	0.210
750/2	0.097
750/3	0.093
750/4	0.040
764	0.202
836	0.263
योग 16	2.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.